न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-60RAAJodhpur2023-24RTA225 Chainaram Vs Danuram etc

चैनाराम पुत्र मंगलाराम जाति विश्नोई, निवासीगण- स्वामीजी की ढाणी, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर, वर्तमान जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

01. दाणुराम पुत्र बलवंताराम
02. कैलाश पुत्र शंकरलाल
03. धाई पत्नी बलवंताराम
04. पंखी पत्नी भजनाराम
05. पुनाराम पुत्र शंकरलाल
06. बंशीलाल पुत्र मंगलाराम
07. बाबुराम पुत्र मंगलाराम
08. मनफूल पुत्र शंकरलाल
09. शांतिदेवी पत्नी शंकरलाल
10. सोहनराम पुत्र बलवंताराम

सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण- स्वामीजी की ढाणी, तहसील लोहावट, जिला जोधपुरवर्तमान जिला फलोदी।

11. सोनी पत्नी प्रेमाराम जाति जाट, निवासी- हीरा मोती नगर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर ,वर्तमान जिला फलोदी
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर,वर्तमान जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2022 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 190/2022 चैनाराम बनाम दाणुराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 12

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 25 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 190/2022 अनवान चैनाराम बनाम दाणुराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 24 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 830 रकबा 26.4502 हैक्टेयर, खसरा नं. 830/8 रकबा 0.0809 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 830/9 रकबा 0.3237 हैक्टेयर ग्राम स्वामीजी की ढाणी तहसील लोहावट के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2022 के जरिये प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साबित कर दिया था कि विवादित भूमि सहखातेदारी की भूमि है तथा उनका मौके पर कब्जा काश्त है। इसलिए विवादित भूमि में अपीलार्थी का 1/6 हिस्सा है तथा उस हिस्से तक प्रत्यर्थीगण को कोई अधिकार नहीं है कि वे भूमि के संबंध में किसी तरह की कोई कार्यवाही अमल में ला सके। इस कारण प्रथदृष्टया मामला, पूर्ण रूप से अपीलार्थी के पक्ष में है। अपीलार्थी भी उपरोक्त भूमि का सहखातेदार है तथा सहखातेदारी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू-भाग पर कब्जा काश्त है। विशेष भाग पर निर्माण नहीं किया जा सकता है तथा न ही अपीलार्थी को बेदखल किया जा सकता है। इस कारण सुविधा का संतुलन भी अपीलार्थी के पक्ष में साबित है। प्रत्यर्थीगण द्वारा भी अपने जवाब में यह स्वीकार किया गया है कि मौके पर बंटवाड़ा नहीं हो रखा है। इससे भी साबित है कि मौके पर संयुक्त खातेदारी है तथा अपीलार्थी को उसके हक अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं को अपने पक्ष में साबित किया है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों बिंदुओं की व्याख्या किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2022 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी के मूल प्रार्थना पत्र को वाद के लंबित रहने तक स्वीकार किये जाने का आदेश फरमावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं पावलली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं.830 रकबा 26.4502 हैक्टेयर, खसरा नं. 830/8 रकबा 0.0809 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 830/9 रकबा 0.3237 हैक्टेयर ग्राम स्वामीजी की ढाणी तहसील लोहावट राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है, जिसमें अपीलांट 1/6 हिस्से का रेकर्डेड सहखातेदार है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में विचारण न्यायालय में विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जाना न्याय हित में उचित है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में पाये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि खसरा नं. 830/8 एवं 830/9 की भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। उक्त रास्ते पर पक्षकारान्/जन-समुदाय के आवागमन में बाधा उत्पन्न न हो इस हेतु भी अपीलांट को पाबंद किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 190/2022 अनवान चैनाराम बनाम दाणुराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2022 को अपास्त किया जाकर उभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं.823 रकबा 26.4502 हैक्टेयर में परस्पर एक-दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे तथा खसरा नं. 830/8 रकबा 0.0809 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 830/9 रकबा 0.3237 हैक्टेयर में रास्ते की भूमि पर निर्माण डामरीकरण नहीं करे। साथ ही अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि वह उक्त खसरान् के रास्ते में पक्षकारान्/जन-समुदाय के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर